1

706
9.10.14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट, रीवा जिला रीवा म0प्र0

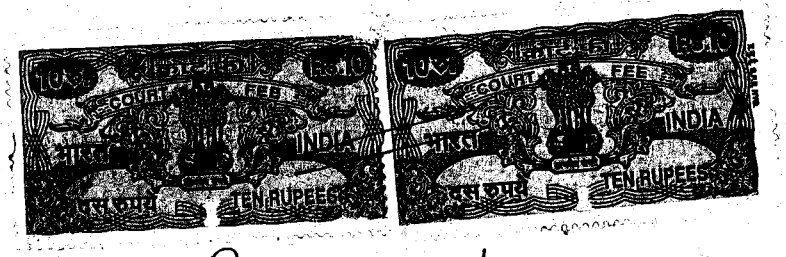

Rs.20/-

R-3755-III/14

1–देवेन्द्र कुमार तनय श्री जगजीवन प्रसाद मिश्रा, उम्र 37 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम जोडवारपुर पोस्ट बरहुंला तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0

2–मनोज कुमार तनय श्री गया प्रसाद मिश्र, उम्र 34 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम जोडवारपुर पोस्ट बरहुंला तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0

क्रमांक 3463
दिनांक 29.10.14

————निगरानीकर्तागण

क्लर्क 29.10.14
राजस्व मण्डल

बनाम्

पवन कुमार तनय इन्द्रभान राम ब्रा0उम्र 65 वर्ष, पेशा पेंशनर निवासी ग्राम जोडवारपुर पोस्ट बरहुंला तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगराकार

1...अरविन्द कुमार शुक्ला एड के द्वारा आज दिनांक 9-10-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा के प्रकरण कमांक 11ए/12 आदेश दिनांक 29/05/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

अनावेदक कमांक 01 ने अपने ग्राम जोडवरपुर कि आराजी नं0 79/2 एवं 81/3 के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त डभौरा तह0 जवा जिला रीवा में प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त डभौरा द्वारा दिनांक 20/05/2014 को सीमांकन करने गये जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि कमांक 79 रकवा 4 डि0 81/3 का सीमांकन किया गया लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकन कार्यवाही को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–3755/तीन/14 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश देवेन्द्र /पवन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –10–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री सूर्यनाथ पाण्डेय एवं अनावेदक केविएट कर्ता के अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा ग्राम जोडवरपुर की भूमि कमांक–79/2 एवं81/3 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक वृत्त–डभौरा तहसील जवा को दिनांक–20.5.14 को ~~आवेदन पत्र~~ प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर किया गया सीमांकन विधि अनुकूल नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में यह बताया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही स्थाई बन्दोबस्ती सीमाचिन्हों को मानक आधार मानकर नहीं की गयी है, खेतों के तिमेड़ा को आधार मानकर की गयी है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है । खेतों की मेढों के तिमेढे जुताई के समय घटते बढ़ते रहते है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि सीमांकन हेतु आवेदित भूमि का नक्शा तरमीम भी नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में बिना नक्शा तरमीम के किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण है । आवेदक अधि0 द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त त्रृटिपूर्ण सीमांकन के संबंध में आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी किन्तु आपत्ति के संबंध में बिना कोई कारण दर्शाये यह लिख दिया गया कि आपत्ति निराधार है, और सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया । जो निरस्त किए जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है, किन्तु विचार में लिया जावेगा । अनावेदक केविएट कर्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो केबिएट आवेदन में अंकित है जिसमें उनके द्वारा भी	

यह अंकित किया गया है कि आवेदक को विधिवत सूचना पत्र दिया गया है तथा बन्दोबस्ती मेढ़ को आधार मान कर सीमांकन की कार्यवाही की गयी है जो सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है ।

आवेदक एवं अनावेदक के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया एवं प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर भी विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक–29.5.14 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि पैमाइसी उपकरणों के साथ स्थल पर उपस्थित होकर बन्दोबस्ती नम्बर 70, 71, सएवं 72 पर स्थित तिमेढ़े को आधार बिन्दु मानकर आवेदित भूमि का सीमांकन किया गया है । इसके अतिरिक्त अपने आदेश दिनांक–29.5.14 में अति संक्षिप्त रूप से यह अंकित करते हुए कि "प्रस्तुत आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है" । आवेदक की आपत्ति निरस्त की गयी है ।

उपरोक्त तथ्यों से आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को की पुष्टि हो रही है । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि किसी भी खेत की मेढ़ या खेतों के तिमेढ़े को सीमांकन का मानक सीमा चिन्ह मान कर सीमांकन करने पर सीमांकन सही नहीं हो सकता, क्योंकि खेतों की मेढ़ कम ज्यादा होती रहती है, जो सीमांकन का आधार नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त इस तथ्य की पुष्टि भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–29.5.14 से हो रही है कि सीमांकन हेतु आवेदित भूमि के नक्शे की तरमीम पटवारी अभिलेख में नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में बिना तरमीम के किया गया सीमांकन विधिवत एवं सही नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रकरण के संलग्न सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक–20.5.14 का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है, कि आवेदक गणों को सूचना पत्र जारी होना नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक–29.5.14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में विधिवत समस्त सरहदी एवं हितवद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाकर

5/495

R. 3755/III/14

रीवा

आदेदित आराजी का नक्शा तरमीम करते हुए स्थायी बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह जैसे पुराना कुआ, नहर, सड़क सहित पुराना ग्राम सीमा का मुनारा आदि को सीमांकन का मानक आधार मानकर सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण की जावे । उभय पक्ष भी उक्त सीमांकन की कायवाही समय सीमा में संपन्न हो सके स्वयं संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सहयोग करें । उक्त निर्देशों के साथ यह यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सदस्य